

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर


क्रमांक:- ई-33/ले.टे./ (एफ-1469)/2018/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित लैब टेक्नीशियनों (प्रोबेशनरी ट्रेनी) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(एफडी)रूल्स/2006 पार्ट-1 दिनांक 07.08.14 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अवधि का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पदस्थापन स्थान	अवकाश अवधि
1.	श्री हर्ष खण्डेलवाल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कृष्णागंज, सिरोही	25.06.2017 से 17.07.2017 23 दिवस 21.07.2017 से 27.07.2017 07 दिवस कुल 30 दिवस
2.	श्री किशोर कुमार सिन्धी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आबूपर्वत, सिरोही	18.07.2017 से 20.07.2017 03 दिवस
3.	श्री अंशुमन नारायण	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चूरु	10.10.2017 से 23.10.2017 14 दिवस 27.10.2017 से 31.10.2017 05 दिवस कुल 19 दिवस


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर

क्रमांक:- ई-33/ले.टे./ (एफ-1469)/2018/ 408

दिनांक : 2/8/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चूरु।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कृष्णागंज/आबूपर्वत, सिरोही।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेखा है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर